POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 28.06.2024

1.थाना दादरी पुलिस द्वारा मात्र 04 घण्टे में लूट की घटना को अन्जाम देने वाले 04 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के कुल तीन लाख दस हजार रूपये {₹ 3,10,000} बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक **27.06.2024** को थाना दादरी पर वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी उपरोक्त अपनी दुकान से अपने भाई के साथ जूपिटर स्कूटी न0 यूपी 16 बीएम 9919 से अपने घर के दरवाजे पर पहुचे तो दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा पीछे से आकर वादी से तीन लाख दस हजार रूपये से भरा हुआ थैला व चाबी को लूट कर भाग जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 0276/2024 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था ।

कार्यवाही का विवरण-- थाना दादरी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1. अमन सिंह पुत्र मुन्ना सिंह 2. रवि पुत्र मुन्ना सिंह 03. मुकुल भाटी पुत्र सत्यवीर 04. सुकिल भाटी पुत्र सत्यवीर को मय लूट के 3,10,000/- रूपये के साथ एनटीपीसी कट , रूपवास रोड गाडी पार्किग के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- पूछताछ पर अभि0 रवि पुत्र मुन्ना सिंह व अभियुक्त रवि के भाई अमन निवासी उपरोक्त ने बताया कि मई 2024 में मैंने अपनी बहन की शादी के लिए मकान पर 10 लाख रुपए का लोन लिया था जिसकी किस्त 15,000/- रूपयें महीना थी और मैं शेयर मार्केट में काम करता था जिससे अपने घर का खर्च करता था व किस्त देता था लेकिन पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में मेरे 3.30 लाख रुपए डूब गए और पिछले दो महीने से मेरी लोन की किस्त, बाइक की किस्त व फोन की किस्त नहीं गई। लोन वाले मुझे परेशान करने लगे। तब मैं और मेरा भाई अमन पिछले चार दिनों से रैकी कर रहे थे तो दिनाँक 27.06.2024 की शाम करीब 8ः10 पर एक लाला जी को देशी शराब के ठेके के पास दादरी अपने बैग से किसी को पैसे देते हुए देखा तो हम लोग उसके बैग को लूटने के उद्देश्य से उसके पीछे लग गए जब वह अपनी गली की ओर जाने लगे तो हमने अपनी मोटरसाइकिल गली के बाहर ही छोड़ दी और लाला जी के पीछे चलने लगे लालाजी अपने घर पर पहुंच कर स्कूटी रोककर स्कूटी से बैग निकालने वाले ही थे तब अमन बैग छीनकर भाग गया था और मैं भी उसके पीछे-पीछे भाग गया था। उसके पश्चात हम लोगों ने

अपने साथियों मुकुल भाटी व सुकिल भाटी को लूटी गयी रकम दे दी थी। जिसके बाद हम सभी लोग एनटीपीसी कट के पास गाडी पार्किंग रूपवास रोड के पास बैठकर आपस में लूटे हुऐ पैसे बाट रहे थे।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में घटना का खुलासा करने हेतु बनायी गयी पुलिस टीम द्वारा एनटीपीसी कट रूपवास रोड के पास, गाडी पार्किंग में बैठे हुये अभियुक्त 1. अमन सिंह पुत्र मुन्ना सिंह 2. रवि पुत्र मुन्ना सिंह 03. मुकुल भाटी पुत्र सत्यवीर 04. सुकिल भाटी पुत्र सत्यवीर को मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी रकम 3.10 लाख रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अमन सिंह पुत्र मुन्ना सिंह नि0 हाल पता शिवा फिल्म सिटी 02 प्लाट न0 16 धूममानिकपुर थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम हरीनारायण पूर्वा थाना बढगाँव जिला गौंडा उम्र करीब 20 वर्ष
2. रवि पुत्र मुन्ना सिंह नि0 हाल पता शिवा फिल्म सिटी 02 प्लाट न0 16 धूममानिकपुर थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम हरीनारायण पूर्वा थाना बढगाँव जिला गौंडा उम्र करीब 25 वर्ष
3. मुकुल भाटी पुत्र सत्यवीर नि0 बढपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष
4. सुकिल भाटी पुत्र सत्यवीर नि0 बढपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 276/2024 धारा 392/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

अभियुक्तगण के कब्जे से लूट के कुल 3,10,000/- रूपये बरामद होना

2. साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा पी0 एन0 बी0 बैंक से कोरोना काल के दौरान फर्जी पतों पर आधार कार्ड का प्रयोग कर कार्डलैस निकासी स्कीम के तहत ए0 टी0 एम0 मशीन मे

गड़बड़ी कर 24 लाख 40 हजार रुपए व लैप्स बीमा पॉलिसी को चालू करवाने के नाम पर करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले दो शातिर साइबर अपराधी/खाताधारक गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- पी0 एन0 बी0 बैंक प्रबन्धक शाखा भँगैल नोएडा के द्वारा दिनांक 30/09/2021 को थाना फेस 02 पर मु0अ0सं0 0599/2021 धारा 406/420 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट,जनपद गौतमबुद्धनगर बनाम योगेश चौहान सेक्टर 58 बिशनपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना साइबर थाने से करते हुये तकनीकी व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर धारा 467/468/471/120बी भादवि व 66डी आई0 टी0 एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त 1-अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र दयाराम 2-योगेश चौहान पुत्र कुंवरपाल सिंह के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही का विवरण-- साइबर क्राइम थाना सेक्टर-36, नोएडा द्वारा मु0अ0सं0 0099/2023 धारा 406/420/467/468/471/120बी0 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना साइबर क्राइम नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित शातिर अभियुक्तों 01-अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र दयाराम निवासी नोनिमगंज थाना कायमगंज फरुखाबाद उम्र 36 वर्ष, 02-योगेश चौहान पुत्र कुंवरपाल सिंह निवासी नारायण नगर बस स्टेशन के पीछे थाना कोतवाली एटा उम्र 40 वर्ष को सेक्टर 58 पार्क के पास नोएडा से दिनांक 28-06-2024 को **गिरफ्तार** किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ के दौरान के बताया कि बैंको द्वारा कोरोना काल मे आनलाइन बैंक खातों को खोलने की सुविधा दी गयी थी उसका फायदा उठाकर अभियुक्त द्वारा अपने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न बैंक खातों मे फर्जी नाम पते के आधारकार्ड बनवाकर तथा उन पर धोधाधड़ी करने की नियत से लिए गए फर्जी सिमो को बैंक खातों मे रजिस्टर्ड कर बैंक खाते खुलवाये फिर उन पर इंटरनेट बैंकिंग एवं एटीएम एवं कार्डलैस एटीएम सुविधा को सक्रिय कर साथ ही विभिन्न बीमा कंपनियों के जिनका बीमा किसी कारण से बंद हो गया था ऐसे व्यक्तियों का डाटा थर्ड पार्टी के माध्यम से लेकर बीमा पॉलिसी पुनः चालू करने का प्रलोभन व बोनस के लाभ का झांसा देकर धोखाधड़ी की जाती थी एवं फर्जी खातों मे जमा की धनराशि को कार्डलेस एटीएम सुविधा से निकालते थे जिसमे एटीएम मे निकासी के वक्त जो धनराशि एटीएम द्वारा निकासी द्वार पर निकाली जाती थी उसमे ऊपर ओर नीचे के नोटों को छोड़कर बीच के नोटों को चिमटी से पकड़कर रखते थे कुछ समय बाद मशीन ऊपर और नीचे के नोटों को खीच लेती थी चिमटी वाले नोट अभियुक्तों द्वारा बाहर निकाल लिए जाते थे इस प्रकार उस निकासी मे पहले तो dabit होने का मेसेज आ जाता था परंतु मूल बैंक खाते से धनराशि नहीं कटती थी अभियुक्तो द्वारा पीएनबी बैक भंगेल नोएडा के इसी तरह एटीएम कार्डलेस से धोखाधड़ी कर 24 लाख 40 हजार रुपये खाते से निकाल लिये लेकिन अभियुक्त के खाते में जमा धनराशि बैक से नही कटती थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र दयाराम निवासी नोनिमगंज थाना कायमगंज फरुखाबाद उम्र 36 वर्ष,
2- योगेश चौहान पुत्र कुंवरपाल सिंह निवासी नारायण नगर बस स्टेशन के पीछे थाना कोतवाली एटा उम्र 40 वर्ष को सेक्टर 58 पार्क

3.थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मोटर साईकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **28.06.2024** को अभियुक्त 1. शिवम पुत्र ओम प्रकाश 2. मदन पुत्र जिहान सिंह को परी चौक के पास कासना रोड थाना क्षेत्र बीटा-2 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक मोटर साईकिल आर15 रजि नम्बर डीएल 14 एसएम 1777 सम्बन्धित मु0अ0स0 27536/2023 धारा 379 भादवि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली बरामद हुई है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त शातिर किस्म के चोर हैं जो घूम फिरकर एकान्त मे खडी मोटर साईकिलो को चोरी करते है व पकडे जाने के डर से चोरी की गयी मोटर साईकिलो पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. शिवम पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम बिलासपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मदन पुत्र जिहान सिंह निवासी ग्राम सिरसा थाना कासना जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. आर15 मोटर साईकिल रजि नम्बर डीएल 14 एसएम 1777 सम्बन्धित मु0अ0स0 27536/2023 धारा 379 भादवि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली।
2. एक फर्जी नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास का विवरण --

1. मु0अ0सं0-244/2024 धारा 411/482 भादवी थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0- 27536/2023 धारा 379 भादवि थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली।